बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

**32, हार्डिंग रोड, पटना–800001**

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in, ई मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि॰ प्रा॰ / 04–01–01 / 2024 (खंड) 1760 / पटना, दिनांक 15/05/2025

प्रेषक,

**आशुतोष कुमार,**
अवर सचिव।

सेवा में,

**जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),**
**उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰स॰),**
कैमूर (भभुआ), जमुई, दरभंगा, बक्सर, बांका, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, समस्तीपुर एवं सहरसा।
**प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),**
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय : **प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा–14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या–6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने–अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) एवं अधिसूचना संख्या–6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्वाचन प्रस्ताव के आलोक में प्राधिकार उन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों का निर्वाचन कराना चाहता है, जो अधिक्रमित हैं या जिनका निर्वाचन देय है। इन समितियों की सूची **अनुलग्नक–1** पर दी गई है।

4. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों की उपविधियाँ में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि संबंधित समिति से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियाँ की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को तुरंत उपलब्ध करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से भी संबंधित समिति की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. इन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने **दिनांक 30.04.2025** को कट–ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो **दिनांक 30.04.2025** तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्त्तें पूरी करते हैं, मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

i) सूची में अंकित दुग्ध उत्पादक समिति **प्रपत्र–एम 1** में तीन प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर अपने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक को समर्पित करेंगे। ज्ञातव्य है कि प्राधिकार के **पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024** द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में संबंधित दुग्ध समिति ने पूर्व में अपनी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित तथा पर्यवेक्षकीय कर्मी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची तैयार की होगी। प्रबंधकारिणी समिति की उक्त बैठक के बाद एवं मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट–ऑफ तिथि के पूर्व, कोई सदस्य बनाए गए हों, या हटाए गए हों या मृत हो गए हों, तो वैसे परिवर्त्तनों के आधार पर किये गये संशोधनों को भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाएगा एवं उस पर यथास्थिति समिति के अध्यक्ष/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची होगी। अतः उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/उपविधि के किस प्रावधान के तहत् तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र– एम 1 के स्तंभ– 5 में निश्चित रूप से कर दिया जाए। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट–आफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य बनाए गए सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र– एम 1 में अवश्य सम्मिलित रहे। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्रारूप मतदाता सूची संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक को **दिनांक 20.05.2025** तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक प्रारूप मतदाता सूची प्रबंध निदेशक को समर्पित करने में विफल रहती है तो यह प्रबंध निदेशक का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की प्रारूप मतदाता सूची अपनी देख–रेख में तैयार कराएँ। **प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि मतदाता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।**

ii) समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित प्रबंध निदेशक द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी। प्रबंध निदेशक प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख यथा– सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधनों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची **दिनांक 22.05.2025** तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई

जाएगी। प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जायेगा। प्रबंध निदेशक की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनाएँ सही हैं तथा कट–ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गई है। अतः प्रबंध निदेशक का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपनाकर ही सदस्यता समाप्त की गई हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका– 6 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो तो प्रबंध निदेशक उसकी मान्यता नहीं देंगे और तद्नुसार सूची में सुधार करेंगे।

iii) संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र–एम 2** में निर्गत की जायेगी। प्रपत्र–एम–2 के सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर भी किया जाना है।

7. उक्त दुग्ध समितियों की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:–

| **क्र०** | **कार्यक्रम** | **तिथि** |
|---|---|---|
| i | प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति द्वारा प्रपत्र–एम 1 में सदस्यता सूची दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध कराना | 20.05.2025 |
| ii | दुग्ध संघ द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना | 22.05.2025 |
| iii | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन | 23.05.2025 |
| iv | आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो | 23.05.2025 |
| v | दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि | 23.05.2025 से 02.06.2025 तक |
| vi | दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन | 04.06.2025 |

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :–

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ के कार्यालय के सूचना पट पर।

**(घ) प्राधिकार के वेबसाईट पर (इस से संबंधित निदेश संलग्न परिशिष्ट–01 में दिया गया है।)**

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने–अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट **http://bsea.bihar.gov.in/** पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) **दिनांक 23.05.2025** को निम्नरूप से किया जायेगा :–

Step -1- **लॉगिन करने हेतु निर्देश**

निर्वाचन पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर के किसी इंटरनेट ब्राउजर पर प्राधिकार का वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ टाइप कर खोलेंगे। वेबपेज के दांये ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। प्राधिकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

Step -2- **प्रारूप मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश**

लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लेखित **"प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर सबमिट करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने–अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **"मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं"** पर क्लिक कर देख सकेंगे। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्रबंध निदेशक को **दिनांक 24.05.2025** तक उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्राधिकार के ई–मेल **bseapatna@gmail.com** पर **दिनांक 26.05.2025** तक भेज दिया जायेगा।

अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति/सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि करायें, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा प्रपत्र–एम 3 में तथा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र–एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति–पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो तो मांगे जाने पर समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के विहित प्रावधानों का पालन करते हुए ही नाम हटाया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर प्रबंध निदेशक से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था परन्तु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण–पत्र/ शेयर प्रमाण–पत्र/ मिल्क यूनियन द्वारा निर्गत फोटो प्रमाण–पत्र/ फोटोयुक्त प्रोक्योरमेंट चार्ट की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही साथ आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

13. आपत्तियों का निष्पादन करने में अपनी सहायता हेतु निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित संघ से आवश्यकतानुसार एक या अधिकतम दो कर्मियों, जो प्रापन सहायक (Procurement Assistant) या रूट इंचार्ज (Route Incharge) या दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी या कैम्प प्रभारी हो सकते हैं, की प्रतिनियुक्ति अपने यहाँ करेंगे। ये पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी के साथ संबद्ध रहेंगे एवं वैसे संगत अभिलेख/कागजात आदि समिति से प्राप्त कर निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो उनके द्वारा आपत्तियों/दावों के निष्पादन हेतु आवश्यक समझा जाय। स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी केवल निर्वाचन पदाधिकारी के सहायतार्थ होंगे एवं किसी भी समय उनकी भूमिका उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नहीं होगी।

14. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र–एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन–सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन **प्रपत्र–एम 6** में किया जायेगा।

15. संबंधित दुग्ध उत्पादक समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम

प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़–छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

16. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा **प्रपत्र–एम 1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

17. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति दुग्ध उत्पादक समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध करा दी जायेगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹2/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

18. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 04.06.2025** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगेः–

### Step -1- मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देशः–

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **"अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

**दिनांक 06.06.2025 के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र–एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से**

संबंधित प्रबंध निदेशक को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। प्रबंध निदेशक प्रपत्र–एम 7 में ही सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित कर उसी प्रपत्र में ई–मेल (bseapatna@gmail.com) या विशेष दूत द्वारा दिनांक 07.06.2025 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन,
आशुतोष
15-5-25
(आशुतोष कुमार)
अवर सचिव।

अनुलग्नक : प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति की सूची।

ज्ञापांक : 1760 /पटना, दिनांक 15/05/2025

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि॰/प्रबंध निदेशक, कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि॰/प्रबंध निदेशक, शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि॰/प्रबंध निदेशक, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित संघ के प्रबंध निदेशक निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (Dutybound) हैं।

3. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट–ऑफ तिथि के आधार पर दुग्ध समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र– एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष
15-5-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1760 /पटना, दिनांक 15/05/2025

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
15-5-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1760 /पटना, दिनांक 15/05/2025

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
15-5-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1760 /पटना, दिनांक 15/05/2025

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/संयुक्त सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ श्री वेद प्रकाश, आई॰टी॰ प्रोफेशनल, MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
15-5-25
अवर सचिव।

# मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि/ अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक 23.05.2025 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रबंध निदेशक से **प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे** प्राधिकार के वेबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन कर के PDF File में अपलोड किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

i. प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in का लॉगिन पेज open करेंगे,

ii. ऊपर वर्णित "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" टैब पर क्लिक करेंगे,

iii. मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,

iv. टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने "View" बटन पर क्लिक करेंगे,

v. **क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के SCANNED PDF फाइल को अपलोड करेंगे।**

vi. SCANNED PDF फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे।

**प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :–**

I. प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाईट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),

II. RESOLUTION 200 से 300 DPI में रखना है,

III. SCANNED फाइल को PDF फाइल के रूप में save करना है,

IV. PDF फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,

V. PDF फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में COMPRESSED करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।
**'कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।**

प्रारूप मतदाता सूची का PDF फाईल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home Page पर उपलब्ध Public View **"समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें"** पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने–अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का **प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना** प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) **दिनांक 23.05. 2025** को निम्नरूप से किया जायेगा:–

पृष्ठ–02

i) होमपेज में ऊपर **''समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम''** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **''प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' का चयन कर सबमिट करेंगे।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 04.06.2025** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :–

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **''समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम''** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **''अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, संबंधित प्रबंध निदेशक एवं संबंधित पदाधिकारी अपने–अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **''मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं''** पर क्लिक कर देख सकेंगे।

..................................0..................................

अनुलग्नक: 1

# निर्वाचन देय दुग्ध समितियों की सूची

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कैमूर (भभुआ ) | नुऑव | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | तरैथा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लि0 |
| 2 | कैमूर (भभुआ ) | भभुआ | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | मनिहारी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति |
| 3 | कैमूर (भभुआ ) | भभुआ | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | महुअत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लि0 |
| 4 | कैमूर (भभुआ ) | भभुआ | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | सिकठी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति |
| 5 | जमुई | इस्लामनगर अलीगंज | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | नोनी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 6 | जमुई | खैरा | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | तिलकपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 7 | जमुई | खैरा | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | माँगो बन्दर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 8 | जमुई | सिकन्दरा | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | नवकाडीह दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 9 | जमुई | सिकन्दरा | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | नारायणपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 10 | दरभंगा | घनश्यामपुर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | कुम्हरौल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 11 | बक्सर | इटाढ़ी | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | बाराडीह दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति |
| 12 | बक्सर | डुमराँव | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | कोन्ही दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 13 | बक्सर | राजपुर | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | उतरी दुल्फा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति |
| 14 | बक्सर | राजपुर | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | सखुआना पूर्वी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति |
| 15 | बांका | फुल्लीडुमर | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | कुमारपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 16 | भागलपुर | खरीक | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | उस्मानपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति |
| 17 | भागलपुर | नवगछिया | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | पछगछिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 18 | भागलपुर | बिहपुर | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | नन्हकार दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | भागलपुर | सन्हौला | विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | विश्वासपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 20 | भोजपुर | अगिआँव | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | पवार दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, |
| 21 | भोजपुर | आरा | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | दरियापुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 22 | भोजपुर | चरपोखरी | शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | दुबेडिहरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति |
| 23 | मधेपुरा | बिहारीगंज | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | कठोतिया पाल टोला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 24 | समस्तीपुर | कल्याणपुर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | अरैला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 25 | समस्तीपुर | खानपुर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | टेंगराहा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 26 | समस्तीपुर | खानपुर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | ताल एघरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 27 | समस्तीपुर | खानपुर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | मधुवन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 28 | समस्तीपुर | मोरवा | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | हलई दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 29 | समस्तीपुर | मोहनपुर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | मटियौर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 30 | समस्तीपुर | मोहिउद्दीननगर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | पतसिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 31 | समस्तीपुर | मोहिउद्दीननगर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | मध्य सुल्तानपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 32 | समस्तीपुर | रोसड़ा | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | भोरहा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 33 | समस्तीपुर | वारिसनगर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | रामपुरविशुन रामपट्टी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 34 | समस्तीपुर | शिवाजीनगर | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | मेधुलिया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 35 | समस्तीपुर | सिंघिया | मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | सालेपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 36 | सहरसा | कहरा | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | दीवारी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 37 | सहरसा | कहरा | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | रहुआमणि दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | सहरसा | कहरा | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | विशनपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड |
| 39 | सहरसा | महिषी | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | महपुरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 40 | सहरसा | सलखुआ | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | कमरा डीह दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 41 | सहरसा | सलखुआ | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | गोरियारी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 42 | सहरसा | सलखुआ | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | टेंगराहा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 43 | सहरसा | सलखुआ | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | बहुअरवा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 44 | सहरसा | सोनबर्षा | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | कोपा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 45 | सहरसा | सोनबर्षा | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | तमकुल्हा पूर्वी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 46 | सहरसा | सोनबर्षा | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | दामोदरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 47 | सहरसा | सोनबर्षा | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | शिवपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 48 | सहरसा | सौर बाजार | कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | गोपाल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |